6.1.2 The institution practices decentralization and participative management

संस्था सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थां विकेन्द्रीकरणप्रक्रियां च अनुसरति।

Answar :

सम्पूर्णानन्दकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रबन्धनव्यवस्था पूर्णशः सहभागिनी विकेन्द्रीकरणप्रक्रियाश्रिता चास्ति। सङ्घे शक्तिः कलौ युगे इति वचनमनुसृत्य प्रशासनव्यवस्था स्वीयानां मानवीयतत्त्वानां सहयोगं स्वीकृत्य एव कार्यं करोति। प्रबन्धनपरिश्रमयोः सुचारुरूपेण सङ्घटनाभावे प्रशासनकार्याणि निर्विघ्नं न सम्भवन्ति। अतः सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थां विकेन्द्रीकरणप्रक्रियां च सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः अनुसरति । सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थायाः अनुसरणेन विकेन्द्रीकरणप्रक्रियायाः क्रियान्वयनेन च सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कृते जायमानाः लाभाः यथा –

1. संस्कृतेन सम्बद्धानां नूतनविचाराणां योजनानां च क्रियान्वयनावसरे विश्वविद्यालयस्य प्रबन्धनव्यवस्था आत्मानं सबलम् इति भावयति। यतोऽहि समेषां सङ्कायानां परिपूर्णः सहयोगः एव प्रबन्धनव्यवस्थायाः बलमस्ति।
2. लक्ष्यप्राप्तिप्रसङ्गे समयसीम्नि कार्यकारणावसरे समस्यायाः समाधानान्वेषणावसरे च प्रत्येकमपि सङ्कायः व्यक्तिगतभूमिकां दायित्वं च अवगम्य प्रतिपदं व्यक्तिगतं योगदानं प्रयच्छति।अनेन विश्वविद्यालयस्य धनसमयशक्तीनां सदुपयोगः जायते।
3. सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थायाः अनुसरणेन सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य समेषां कर्मचारिणां मनोबलं प्रतिपदं समभिवर्धतेतमाम् ।
4. सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थायाः अनुसरणेन विकेन्द्रीकरणप्रक्रियायाः क्रियान्वयनेन च विश्वविद्यालयः विख्यातः व्याप्तः एकमेवाद्वितीयः संस्कृतविश्वविद्यालयः इति प्रकीर्त्यते।
5. विश्वविद्यालयः नूतनयोजनानां क्रियाकलापानां च अनुप्रयोगात् पूर्वं परामर्शशैलीम् आश्रित्य समेषां परामर्शान् स्वीकृत्य अन्तिमनिर्णयं स्वीकरोति । एवमेव अन्तिमनिर्णयप्रसङ्गेऽपि संयुक्तनिर्णयशैलीं समाश्रित्य प्रशास्ति। विभिन्नाः परिषदः , समितयः , प्रकोष्ठाः , मण्डलानि , सङ्काया विभागाश्च प्रशासनव्यस्थां सबलीकर्तुमेव संरचिताः सन्ति।

विश्वविद्यालयस्य विभिन्नाः समितयः संस्थायाः हितं विकासं च मनसि निधाय कार्यं कुर्वन्ति। तासु प्रमुखाः समितयः यथा –

1. **परीक्षासमितिः**

   परीक्षायाःतिथ्यादिनिर्धारणं, परीक्षायाः व्यवस्थापनम्, केन्द्रस्थानस्य निर्धारणम्, प्रवेशपत्रप्रश्नपत्रादीनां वितरणम्, उत्तरपत्रिकाणां स्वीकरणम्, मूल्याङ्कनार्थं केन्द्रीयकार्यालयं प्रति प्रेषणम् इत्यादीनां निर्णयः अस्यां समितौ भवति।

2. शोधसमितिः

शोधसमितिः चितानां शोधार्थिनां शोधप्रस्तावं परिशीलयति । समीक्ष्य च मुख्यालयं प्रेषयति । छात्रवृत्तिप्रदाने संस्तौति । कार्यप्रगतेः निरीक्षणं करोति। शोधस्तरपरिरक्षणाय अपेक्षितव्यवस्थादिकं विधाय केन्द्रीयशोधसमितेः संसूचनानां अनुपालनं करोति।

3. **ग्रन्थालयसमितिः**

ग्रन्थालयसमितिः पुस्तकानां क्रयणसंरक्षणसंस्थापनवितरणादिषु कार्येषु प्रतिपदं मार्गदर्शनं करोति।

4. वित्तसमितिः

वित्तसमितिः वेतननित्यनैमित्तिकव्ययादीनां प्रबन्धनाय कार्यं करोति। वित्तीयसमितेः अनुमोदनेन सहयोगेन च क्रियाकलापान् विभागः संयोजयति।

5. प्रवेशसमितिः

प्रवेशसमितिः छात्राणां प्रवेशप्रक्रियायाः नामाङ्कनस्य परिचयपत्रप्रवेशिकादीनां च वितरणकार्यं निर्वहति। प्रवेशसमितेः अनुशासनेन विद्यार्थिनां प्रवेशः नियमानुसरं क्रियते ।

6. अनुशासनसमितिः

अनुशासनसमितिः अनुशासनभङ्गकरान् परिवेषान् वारयितुम् अनुशासनव्यवस्थां परिरक्षितुं च साहाय्यं करोति ।

7. **छात्रावाससमितिः**

छात्रावाससमितिः छात्राणां आवासभोजनव्यस्थादीनां व्यवस्थादिकं निर्वहति । छात्रावासे प्रवेशाय अपेक्षितान् नियमान् निर्धारयति ।

8. शैक्षिकसमितिः

शैक्षिकसमितिः शैक्षिकक्रियाकलापानां सञ्चालनाय प्रतिपदं शासनस्य साहाय्यम् आचरति।

9. प्रकाशनसमितिः

प्रकाशनसमितिः शोधपत्रिकायाः निमन्त्रणपत्रिकादीनां विद्द्भिः लिखितानां सम्पादितानां वा ग्रन्थानां च प्रकाशनाय उपकरोति ।

10. उत्पीडनावरोधकसमितिः

उत्पीडनावरोधकसमितिः विश्वविद्यालये उत्पीडनादीनाम् अनैतिकगतिविधीनां नियन्त्रणाय तत्र संलग्नान् दण्डनाय च संसुतिं प्रयच्छति।

11. **प्रतियोगितासमितिः**

प्रतियोगितासमितिः छात्राणां सर्वाङ्गीणविकासाय अपेक्षिताः विविधप्रतियोगिताः आयोजयति प्रेरयति च।

12.क्रयणविक्रयणसमितिः

क्रयणविक्रयणसमितिः विश्वविद्यालयाय अपेक्षितपदार्थानां क्रयणाय नष्टपदार्थानां विक्रयणाय च संस्तौति।

13. **मुद्रणसमितिः**

मुद्रणसमितिः विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकशैक्षिकेतरकार्यक्रमैः सम्बद्धानां दत्तांशानां मुद्रणाय कार्यं करोति । प्रश्नपत्राणां, पञ्चाङ्गस्य, वार्षिकावकाशसूचीनां, ग्रन्थानां चान्येषां मुद्रणाय कार्यं करोति। चा एवं विशिष्टासु समितिषु विश्वविद्यालयस्य शिक्षकाः कर्मचारिणश्च शासनाय परिपूर्णं सहयोगं यच्छन्ति। आसां माध्यमेन सर्वेऽपि शैक्षिकप्राशासनिककार्याणि सुचारुरूपेण जायन्ते।

1. संस्थायाः उत्पादकतायां गुणवत्तायां च उत्तरोत्तरोत्तरं वृद्धिसम्पादनाय सहभागिप्रबन्धनव्यवस्था भृशं साहाय्यम् आचरति।
2. प्रजातन्त्रात्मकप्रणाल्याः उद्विकासे सहभागिप्रबन्धनव्यवस्थायाः मुख्यभूमिका अस्ति इत्यत्र विश्वविद्यालयस्य दृढविश्वासः विद्यते।
3. प्रबन्धनकौशलानां विकासे उपार्जने च सहभागितायाः प्रमुखं स्थानम् अस्ति इति विश्वविद्यालयः अभिप्रैति।

एवं विभिन्नस्तरेषु शासनस्य अधिकारस्य शक्तीनां च वितरणं विश्वविद्यालयस्य वर्तते। सूत्रे मणिगणाः इव प्रशासने विकेन्द्रीकरणप्रणाली शोभते।

6·1·2

विभाग

पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

व्यय विभागीय राशीत धान

①	वित्तीय वर्ष	2018-19	19,913=00
②	"	2019-20	37757=00
③	"	2020-21	18991=00
④	"	2021-22	31014=00
⑤	"	2022-23	37291=00

कुल योग =144966=00

(Rs. एक लाख चौवालिस हजार नौ सौ छाछठ मात्र)

05/8/23

5-8-23

(0·5)

Scanned by CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,वाराणसी

कार्यालय ज्ञाप

वित्त समिति दिनांक 01–12–2014 की संस्तुति पर कार्यपरिशद की बैठक दिनांक 29.1.2015 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभिन्न विभागों के रक्षित धन का निर्धारण निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र॰ सं॰	पदनाम / विभाग	वर्तमान रक्षित धनराशि सीमा	व्ययाधिकार की वर्शान्तर्गत संख्या	प्रस्तावित राशि	संस्तुति
1	शैक्षणिक विभागो हेतु	5000/–	दो बार	–	5000/–
2	शैक्षणिक संकायो हेतु (वित्त समिति की बैठक दि0 22.09.14 में शैक्षणिक विभागों हेतु स्वीकृत रू0 500 के स्थान पर रू0 5000 तथा संकाय हेतु स्वीकृत रू0 2000 के स्थान पर रू0 10000 स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।)	10000/–	दो बार	–	10000/–
3	कुलपति के सचिव	2000/–	वास्तविक व्यय	6000/–	6000/–
4	कुलपति के सचिव(पेट्रोल/डीजल)	3000/–		9000/–	9000/–
5	कुलपति के सचिव(जेनरेटर/डीजल)	2000/–		6000/–	6000/–
6	वैयक्तिक सहायक कुलसचिव	1000/–		3000/–	3000/–
7	वैयक्तिक सहायक कुलसचिव (पेट्रोल/डीजल)	2000/–		6000/–	6000/–
8	वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी	500/–		1500/–	1500/–
9	वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी(पेट्रोल/डीजल)	1000/–		3000/–	3000/–
10	उपकुलसचिव (परीक्षा)	5000/–	तीन बार	15000/–	15000/–
11	सहा0कुलसचिव (सम्बद्धता)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
12	उपकुलसचिव (समाजकल्याण)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
13	उपकुलसचिव (विकास)	500/–	दो बार	1500/–	निरस्त
14	सहायक कुलसचिव (प्र ासन)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
15	सहा0 कुलसचिव (लेखा)	2000/–	वास्तविक व्यय	6000/–	6000/–
16	सहा0 कुलसचिव (ैक्षिक)	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
17	निदे ाक अनुसंधान संस्थान	500/–	दो बार	1500/–	1500/–
18	पुस्तकाध्यक्ष	2000/–	दो बार	6000/–	6000/–
19	छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष, (वित्त समिति की बैठक 12.2.14 में रू0 500/– के स्थान पर रू0 5000/– किये जाने की संस्तुति की गई।)	5000/–	दो बार	–	5000/–
20	विनयाधिकारी	1000/–	तीन बार	3000/–	5000/–

\\DELL-PC\Users\Public\ImpressMoney.docx

Scanned by CamScanner

6.1.2.

21	प्रतिपालक (ोध छात्रावास)	750/-	दो बार	2500/-	5000/-
22	प्रतिपालक (गंगानाथ झा छात्रावास)	500/-	दो बार	2500/-	5000/-
23	श्री ि वकुमार भास्त्री छात्रावास	1500/-	दो बार	4500/-	5000/-
24	अन्तर्राश्ट्रीय छात्रावास	500/-	दो बार	1500/-	5000/-
25	चिकित्साधिकारी एलोपैथ	1000/-	वास्तविक व्यय	3000/-	3000/-
26	चिकित्साधिकारी आयुर्वेद	500/-	वास्तविक व्यय	3000/-	3000/-
27	निदे ाक प्रका ान संस्थान	1500/-	वास्तविक व्यय	4500/-	5000/-
28	संग्रहालयाध्यक्ष	500/-	दो बार	1500/-	5000/-
29	जनसम्पर्क अधिकारी	1000/-	दो बार	3000/-	3000/-
30	अभियन्ता	5000/-	वास्तविक व्यय	25000/-	25000/-
31	अभियन्ता / सम्पत्तिअधिकारी(जनरेटर / डीजल)	10000/-	वास्तविक व्यय	25000/-	25000/-
32	सम्पत्ति अधिकारी	5000/-	वास्तविक व्यय	20000/-	20000/-
33	सुरक्षाधिकारी	200/-	दो बार	2000/-	2000/-
34	उद्यान अधिक्षक	600/-	दो बार	2000/-	2000/-
35	प्रभारी मुकदमा सेल	500/-	दो बार	1500/-	1500/-
36	प्रेस व्यवस्थापक	10000/-	वास्तविक व्यय	20000/-	20000/-
37	प्रभारी संगणक केन्द्र	[illegible]00/-	एक बार	1500/-	2000/-
38	विकय अधिकारी /विकय पर्यवेक्षक	1000/-	एक बार	3000/-	3000/-
39	कोशपाल (वित्त अधिकारी रक्षित)	10000/-	वास्तविक	20000/-	20000/-

व्ययाधिकार की वर्शान्तर्गत संख्या को निरस्त करते हुए वास्तविक व्यय किये जाने तथा रक्षित धन से एक मुश्त व्यय की सीमा भी रक्षित धन का अधिकतम 25% (पेट्रोल/डीजल के रक्षित धन को छोड़कर) निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

10/2/15

कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

सं० सा० 1897/2015 दिनांक 09.02.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आ०का० हेतु प्रेशित –

1– सचिव, कुलपति।
2– समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।
3– पुस्तकाध्यक्ष।
4– निदेशक, अनुसंधान / प्रकाशन।
5– आशुलिपिक कुलसचिव / वित्ताधिकारी।
6–समस्त उपकुलसचिव।
7– समस्त सहायक कुलसचिव।
8– समस्त विभागानुभाग।
9– सम्बन्धित पत्रावली।

10/2/15

कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

Scanned by CamScanner

6.1.2.

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – एस॰एस॰वि॰वि॰/शै॰ 1097 /2020 दिनाङ्क 24 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

वेद विभागीय अनुसंधानोपाधि समिति का पुनर्गठन अधोलिखित प्रकार से किया जाता है। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य का कार्यकाल 01 वर्ष है।

1.	कुलपति			-	अध्यक्ष
2.	संकायाध्यक्ष	-	वेद वेदांग संकाय	-	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष	-	वेद विभाग	-	संयोजक
4.	प्रो॰ राममूर्ति चतुर्वेदी	-	संस्कृत विभाग मा.गा.का.वि., वाराणसी	-	सदस्य
5.	डॉ॰ ऋचा पाण्डेय	-	संस्कृत विभाग लखनऊ वि.वि., लखनऊ	-	सदस्य

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, कुलपति को, माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. कार्यालय सहायक, वेद विभाग।
4. सम्बद्ध पत्रावली

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

Scanned by CamScanner

1.1.2

6.1.2

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : 09 मई, 2023

पत्रांक : कु.स. 6038/2023

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय में क्रीड़ा आयोजन दिनांक 18,19,20 एवं 21 मई, 2023 किया जायेगा। उक्त आयोजन के सफल संचालन हेतु (क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण) अधोलिखित समिति का गठन किया जाता है -

1. प्रो. हरिशंकर पाण्डेय, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष - अध्यक्ष
2. डॉ. सत्येन्द्र कुमार यादव, क्रीड़ा प्रभारी - संयोजक
3. डॉ नितिन आर्य, सहायक आचार्य, व्याकरण विभाग
4. डॉ. विजेन्द्र आर्य, सम्पत्ति प्रभारी
5. डॉ. दुर्गेश पाठक, सहायक आचार्य, न्याय वैशेषिक विभाग
6. डॉ. कुंज बिहारी द्विवेदी, सहायक आचार्य, न्याय वैशेषिक विभाग
7. श्री उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, वरिष्ठ सहायक, छात्रकल्याण संकाय कार्यालय

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त महानुभाव।
3. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
4. डॉ. सत्येन्द्र कुमार यादव, क्रीड़ा प्रभारी।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
8. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा)।
9. क्रीड़ा विभाग।
10. लेखानुभाग को इस आशय से कि श्री उपेन्द्र नाथ द्विवेदी, वरिष्ठ सहायक के नाम (मेडल, प्रमाण-पत्र, जलपान एवं अन्य व्यय हेतु) रू. 25000/- अग्रिम भुगतान हेतु।
11. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

1.1.2

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – एस॰एस॰वि॰वि॰/सा॰733/2021

दिनाङ्क 7 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2012 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रकाशन-समिति का गठन निम्नवत् रूप से किया जाता है -

1. कुलपति - अध्यक्ष
2. संकायाध्यक्ष, साहित्य संस्कृति संकाय - सदस्य
3. संकायाध्यक्ष, दर्शन संकाय - सदस्य
4. प्रो॰ रामपूजन पाण्डेय, आचार्य, न्याय वैशेषिक विभाग - सदस्य
5. डॉ॰ दिनेश कुमार गर्ग, सह-आचार्य, , प्रा.रा.अ.विभाग - सदस्य
6. प्रो॰ सच्चिदानन्द मिश्र, (बाह्य विद्वान) आचार्य, दर्शन, कला संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी - सदस्य
7. प्रो॰ राजेन्द्र मिश्र (बाह्य विद्वान), पूर्व दर्शन विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - सदस्य
8. प्रो॰ सीमा सिंह, कुलपति, उ॰प्र॰राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (कार्यपरिषद् सदस्य) प्रयागराज - सदस्य
9. निदेशक, अनुसंधान संस्थान - सदस्य
10. निदेशक, प्रकाशन संस्थान - संयोजक-सदस्य
11. वित्त अधिकारी - सदस्य
12. कुलसचिव - सदस्य

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त सदस्यगण।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. समस्त विभागानुभाग।
7. जनसम्पर्क अधिकारी।
8. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

Scanned by CamScanner

1.1.2

6.1.5

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक 26 जून, 2023

ांक :सा॰ 2995/2023

कार्यालय-ज्ञाप

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक-942/सत्तर-1-2023, लखनऊ दिनांक 01.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में शारीरीक स्वास्थ्य, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य कल्याण, मनोवैज्ञनिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु यू॰जी॰सी॰ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को लागू करने हेतु अधोलिखित महानुभावों की एक समिति गठित की जाती है -

1. प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष
2. डॉ रविशंकर पाण्डेय, सहायक आचार्य, संस्कृत विद्या विभाग
3. श्री राजकुमार मिश्र, पुजारी

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नक -यथोक्त।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त महानुभाव।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. उपकुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)।
6. अधीक्षक (प्रशासन/परीक्षा)।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

26.06.23
कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

Scanned by CamScanner

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – कु०स० 5752/2023

दिनाङ्क 25 अप्रैल, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय परिसर में पंजीकृत छात्रों के प्रवेश, छात्रावास, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के लिए निराकरण हेतु **छात्र समस्या निवारण समिति** का गठन किया जाता है -

1. प्रो० हरिशंकर पाण्डेय, छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष
2. प्रो० शम्भूनाथ शुक्ल
3. प्रो० ललित कुमार चौबे
4. प्रो० दिनेश कुमार गर्ग, विनयाधिकारी
5. डॉ० विजेन्द्र कुमार आर्य, सम्पत्ति प्रभारी
6. श्री रामविजय सिंह, अभियन्ता

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

25-4-23
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त महानुभाव।
3. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
4. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
5. अधीक्षक (प्रशासन)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

25-4-23
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

Scanned by CamScanner

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – एस.एम.वि.वि.,/मा. ९ /2020

दिनाङ्क 20 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) के पत्र संख्या-3-63/2019/CIHCS/6687-90 दिनांक 14.01.2020 के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य, पालि एवं थेरवाद विभाग को उक्त संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नस एण्ड सोसाइटी के सदस्य के रूप में 03 वर्ष के लिए नामित किया जाता है।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रो. हर प्रसाद दीक्षित, संकायाध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय।
3. प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य, पालि एवं थेरवाद विभाग।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) को उनके पत्र संख्या-3-63/2019/CIHCS/6687-90 दिनांक 14.01.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव।
6. अधीक्षक, प्रशासन।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

Scanned by CamScanner

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक – एस.एम.वि.वि./आ. –9 /2020

दिनाङ्क 20 जनवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) के पत्र संख्या-3-63/2019/CIHCS/6687-90 दिनांक 14.01.2020 के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य, पालि एवं थेरवाद विभाग को उक्त संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नस एण्ड सोसाइटी के सदस्य के रूप में 03 वर्ष के लिए नामित किया जाता है।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रो. हर प्रसाद दीक्षित, संकायाध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय।
3. प्रो. रमेश प्रसाद, आचार्य, पालि एवं थेरवाद विभाग।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान दाहुंग (अरूणाचल प्रदेश) को उनके पत्र संख्या-3-63/2019/CIHCS/6687-90 दिनांक 14.01.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव।
6. अधीक्षक, प्रशासन।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

Scanned by CamScanner

6.1.2

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सत्र 2021–22 वर्षीय शास्त्री प्रथम एवं आचार्य प्रथम सेमेस्टर में काउन्सिलिंग के समय छात्रों से ली जाने वाली रैगिंग शपथ–पत्र के सम्बन्ध में छात्रसंघ अध्यक्ष एवं अन्य छात्रों के प्रार्थना पत्रों पर विचार हेतु छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष के संयोजकत्व में सहायक छात्रकल्याण संकायाध्यक्षों के साथ दिनांक 11.11.2021 को छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष के कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न महानुभाव उपस्थित हुए।

1– प्रो0 हरिशंकर पाण्डेय – छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष

2– डॉ0 रविशंकर पाण्डेय – सहायक छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष

3– डॉ0 विशाखा शुक्ला – सहायक छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष

निर्णय

समिति ने छात्रों के प्रार्थना पत्र विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि स्टैम्प पेपर बाजार में उपलब्ध नही हो पा रहा है समान प्रकृति के प्रकरण में समीप के संस्था महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी ने रैगिंग, शपथ–पत्र के निर्णय को बदलते हुये निर्धारित प्रारूप पर रैगिंग, शपथ–पत्र लेने का निर्णय लिया है। जो यहाँ पर लागू करना समीचीन होगा।

Scanned by CamScanner

6.1.3.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,वाराणसी

दीक्षान्तमहोत्सवस्याधिसूचना

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य **एकोनचत्वरिंशत्तमो दीक्षान्तमहोत्सवः** 03.01.2022 दिनाङ्के विश्वविद्यालयस्य मुख्यभवने सम्पत्स्यते।

अस्मिन्नवसरे2021-वर्षीयविद्यावारिध्याचार्यशास्त्रिशिक्षाशास्त्र्यायुर्वेदाचार्य-ग्रन्थालयविज्ञान-पत्रकारिताएवंजनसञ्चारविज्ञानस्नाकोत्तरपरीक्षासमुत्तीर्णेभ्यः स्नातकेभ्य उपाधयः प्रदास्यन्ते।

सम्बद्धाः स्नातका एतद्द्वारा सूच्यन्ते यद् 26.12.2021 दिनाङ्कं यावद् अधस्तनं स्वीकृतिपत्रं प्रपूर्य कुलसचिवस्य कार्यालये प्रेषयन्तु। 27.12.2021 एवं 28.12.2021 दिनाङ्कयोः 10 वादने स्वयमुपस्थाय अधोनिर्दिष्टानि प्रारूपाणि प्रपूरितानि प्रदर्श्य पञ्चाशदधिकशतद्वय – (250) रूप्यकाणि च प्रदाय परिधानवस्त्राण्युपाधींश्च लभेरन् ।

सूचना- अत्र संलग्नं पत्रत्रयं वर्तते। तत्र प्रथमं प्रमाणपत्रं, दीक्षान्तमहोत्सवे प्रवेशाय यद् विद्यालयीस्नातकेभ्यः प्रधानाचार्यः, स्वतन्त्रस्नातकेभ्यस्तु शास्त्रिपरीक्षान्तं स्वीकृतस्य महाविद्यालयस्य प्रधानाचार्यः, अथवा शिक्षाविभागस्य निरीक्षकः, अथवा हाईस्कूलकक्षान्तं स्वीकृतस्य विद्यालयस्य प्रधानाध्यापको यद् उत्तीर्णपरीक्षाया आवेदनपत्रं प्रेषितम् आसीत् , दास्यति। द्वितीयं पत्रं छात्रः 27.12.2021 दिनाङ्कात् पूर्वं कुलसचिवकार्यालये पूरयित्वा प्रापयिष्यति। तृतीयं पत्रं विद्यालयीयस्नातकेभ्यः प्रधानाचार्यः, स्वतन्त्रच्छात्रेभ्यश्च निर्धारितोऽधिकारी दास्यति।

विशेषः- स्नातकैः द्वितीयं स्वीकृतिपत्रं तृतीयश्च कुलसचिवस्य कार्यालये 27.12.2021 दिनाङ्कात् पूर्वं प्रेषणीयम्, प्रथमञ्च सहैवानेयम् । तत् प्रदर्श्य उत्सवप्रवेशपत्रं स्नातकीयपरिधानञ्च ग्रहीतव्यम् ।

कुलसचिवः

सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य, वाराणसी

Scanned by CamScanner

दिनांक २८.०२.२०२४ को विश्वविद्यालय की माननीया कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय के आचार्य एवं अधिकारियों को प्रशासनिक एवं शैक्षणिक निर्देश देते हुए

दिनांक २५.११.२०२३ को माननीया कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल, उच्च शिक्षामंत्री श्री योगेन्द्र उपाध्याय के साथ सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण करती हुई तथा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वरिष्ठ आचार्यगण

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

दिनांक ०८.०६.२०२३ को विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय प्रशासन के विषय में मार्गदर्शन करती हुई माननीया कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल

दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल एवं प्रमाणपत्र वितरण कर प्रोत्साहन देती हुई माननीया कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल - ०२ मार्च २०२१

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

दीक्षांत समारोह में स्वयं उपस्थित होकर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल एवं प्रमाणपत्र वितरण कर प्रोत्साहन देती हुई माननीया कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल- ०२ मार्च २०२१

दिनांक २५.११.२०२३ को दीक्षांत समारोह में जलभरो कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय को जल संरक्षण की प्रेरणा देते हुई माननीया कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

दीक्षांत समारोह में मुख्यातिथि मालिनी अवस्थी जी को उपायन देते हुए कुलपति एवं माननीय कुलाधिपति महोदया – ०३ जनवरी २०२२

वर्ष २०२२ में माननीया कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल राज्य के समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छता अभियान की प्रेरणा देती हुई

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

माननीया कुलाधिपति महोदया आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से छात्रावास परिसर में स्वच्छता अभियान का आरम्भ करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति चीफप्राक्टर एवं अन्य - मई २०२२

२५ नवम्बर २०२३ को विश्वविद्यालय के एकचत्वारिंशत्तम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत-भाषण देते हुए माननीया कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल

Registrar
Sampurnanand Sanskrit University
Varanasi

6.1.2

संस्था सहभागि प्रबंधन व्यवस्था तथा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं।

उत्तर- माननीय कुलाधिपति महोदया आनन्दीबेन पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण तथा उन के विश्वविद्यालय के मार्गदर्शिका एवं प्रेरणा स्रोत के रूप मे विश्वविद्यालय के हर नव नवोन्मेषी कार्यकलापों में अनुग्रहपूर्वक साक्षात् उपस्थित होकर प्रोत्साहन देने के कारण विश्वविद्यालय विगत वर्षों में शैक्षणिक तथा प्राशासनिक दोनों पक्षों की उचाइओं को प्राप्त कर रहा है। हर क्षेत्र तथा नवोन्मेष में निर्देश आदेश प्रदान करते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्य करने का पूर्ण स्वातन्त्र्य रहता है। जिससे विश्वविद्यालय तनाव मुक्त वातावरण में एक महनीय कुलाधिपति के प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार नई उचाइओं को प्राप्त कर रहा है।

विश्वविद्यालय की प्रबन्धन व्यवस्था पूर्ण तरीके से सहभागी विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के आश्रित है। 'सङ्घे शक्तिः कलौ युगे' इस वचन का अनुसरण करते हुए प्रशासन व्यवस्था स्वीय मानव सन्साधन को सहयोग करते हुए कार्य करता है। प्रबंधन एवं परिश्रम के सुचारुरूप से न होने पर प्रशासन के कार्य निर्विघ्न नहीं होते है। इसीलिए विश्वविद्यालय सहभागी प्रबन्धन व्यवस्था तथा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करता है। सहभागि प्रबंधन व्यवस्था तथा विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के क्रियान्वयन के द्वारा विश्वविद्यालय मे प्राप्त होनेवाले लाभ जैसे-

1. संस्कृत से संबद्ध नूतन विचारों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन करने के पक्ष में विश्वविद्यालय की प्रवन्धन व्यवस्था स्वयम को सबल मानते हुए कार्य करती है। क्योकि सभी सङ्कायों का परिपूर्ण सहयोग ही प्रबंधन व्यवस्था का बल है ।
2. किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, समय सीमा में किसि कार्य विशेष को पूर्ण करना हो, तथा समस्या का समाधान करते

समय सभी प्रत्येक संकाय अपनी व्यक्तिगत भूमिका को समझते हुए सभी अपना व्यक्तिगत भूमिका देते हैं। इससे विश्वविद्यालय की धन, समय, शक्ति का सदुपयोग होता हो

3. सहभागि प्रबन्धन व्यवस्था का अनुसरण करने से विश्वविद्यालय का सभी कर्मचारी के मनोबल का प्रतिपद वर्धन होता है।
4. सहभागि प्रबन्धन व्यवस्था का अनुसरण एवं विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय विख्यात व्याप्त संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में कीर्ति प्राप्त करता है।
5. विश्वविद्यालय नूतन योजनाओं एवं क्रियाकलापों के अनुप्रयोग मे परामर्श शैली का आश्रयण कर सभी परामर्शों को स्वीकार करने के बाद अन्तिम निर्णय लेता है। ऐसे ही अन्तिम निर्णय प्रसंग मे संयुक्त निर्णय शैली का आश्रयण कर अनुशासन करती है । विभिन्न परिषद समितियाँ, प्रकोष्ठ, सङ्काय, विभाग, प्रशासन व्यवस्था को सबल करने के लिए ही संरचित है ।

विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियाँ संस्था के हित एवं विकास को ध्यान मे रखते हुए कार्य करती है। उनमे प्रमुख समितियाँ निम्न है।

1. परीक्षा समिति

परीक्षा की तिथ्यादि का निर्धारण, परीक्षा का व्यवस्थापन केंद्रस्थान का निर्धारण, प्रवेशपत्र, प्रश्नपत्रादि का वितरण, उत्तरपत्रिकाओं का स्वीकरण, मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय कार्यालय में भेजना, इन सभी निर्णयों को समिति में लिया जाता हैं।

2. शोधसमिति

शोधसमिति चयनित शोधच्छात्रो के शोध का प्ररिशीलन करती है। समीक्षा करके मुख्यालय में प्रेषित करती है।

छात्रवृत्ति देने के लिए संस्तुति प्रदान करती है। कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करती है। शौध के स्तर को उच्च रखने के लिए समिति व्यवस्था करके केन्द्रीय शोधसमिति की सूचनाओं का अनुपालन करती हैं।

3. ग्रन्थालय समिति

ग्रन्थालय समिति पुस्तकों के क्रय, संरक्षण, संस्थापन, विवरणादि कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

4.वित्तसमिति

वित्तसमिति नित्य तथा नैमित्तिक व्यय के प्रबन्धन का कार्य करती है। वित्त समिति के अनुमोदन तथा सहयोग से क्रियाकलापो को विभाग करते है।

5. प्रवेशसमिति

प्रवेशसमिति छात्रों के प्रवेशप्रक्रिया नामाङ्कन तथा परिचयपत्र प्रवेशिका आदि का वितरण कार्य करती हैं। प्रवेशसमिति के अनुशासन से छात्रो का प्रवेश नियमानुसार होता हैं ।

6. अनुशासन समिति

यह समिति अनुशासन तोडने वालों को रोकने तथा अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखनें में सहायता करती हैं ।

7. छात्रावास समिति

छात्रावास समिति छात्रों के आवास, व्यवस्था भोजनादि की व्यवस्था करती है। छात्रावास में प्रवेश के लिए अपेक्षित नियमों का निर्धारण करती है।

8.शैक्षिक समिति

शैक्षिक समिति छात्रों के शैक्षिक क्रिया कलापादि को अनुशासन में सहायता प्रदान करती है।

9. प्रकाशन समिति

यह समितिशोधपत्रिका, निमन्त्रणपत्रिकाओं का, विद्वानों के द्वारा लिखे ग्रंथों का प्रकाशन करने मेंसहायता करती है।

10.- उत्पीडनापरोधक समिति

यह समिति विश्वविद्यालय में उत्पीडनादि का अनैतिक विधिका नियन्त्रण तथा उसमें संलग्न को दण्डित करने की संस्तुति देती हैं ।

11. प्रतियोगिता समिति

प्रतियोगिता समिति छात्रों के सर्वांगीणविकास के लिए अपेक्षितविविध प्रतियोगिता का आयोजन एवं प्रेरणा करती है।

12. क्रयविक्रयण समिति

यह समिति विश्वविद्यालय के अपेक्षित पदार्थों का क्रयण एवं नष्टपदाथों का विक्रयण की संस्तुति देती हैं ।

13. मुद्रणसमिति

मुद्रणसमिति विश्वविद्यालय के शैक्षिक तथा शैक्षिकणेतर कार्यक्रम से सम्बद्ध दत्तांश का मुद्रण करती हैं। प्रश्नपत्रों का,पंचांग,वार्षिक अवकाश सूची,तथा ग्रन्थों का मुद्रण करती हैं । विभिन्न संकायों के शिक्षक तथा कर्मचारी भी इसमे सहायता प्रदान करते हैं । इनके माध्यम से ही सभी शैक्षिकप्रशासनिक कार्यादि होते हैं।

1. संस्था की उत्पादकता एवं गुणवत्ता की उत्तरोत्तर अभीवृद्धि संपादन करने मे सहभागि प्रबन्धन व्यवस्था सहायता करती हैं ।
2. प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के विकास में भी सहभागि प्रबन्धन व्यवस्था मुख्य भूमिका है ऐसा विश्वविद्यालय का विश्वास हैं।
3. प्रबन्धन कौशल विकास में उपार्जन में सहभागिता का प्रमुख स्थान है। ऐसा विश्वविद्यालय का अभिप्राय है।

ऐसे विभिन्न स्तर में शासन के अधिकार तथा शक्ति का वितरण किया गया है ।

माननीयानां कुलाधिपतीनां आनन्दीबेनपटेलमहाभागानां कुशलनेतृत्वतः तासाञ्च विश्वविद्यालयस्य मार्गदर्शिकात्वेन प्रेरणास्रोतोरूपेण च विश्वविद्यालयस्य प्रत्येकं नवोन्मेषिषु कार्यकलापेषु अनुग्रहपूर्वकं साक्षत् उपस्थाय प्रोत्साहनकारणाच्च विश्वविद्यालयो विगतवर्षेषु शैक्षणिकेषु प्राशासनिकेषु च उभयपक्षेषु प्रोन्नतिं लब्धवान् । प्रत्येकं नवोन्मेषक्षेत्रे निर्देशं लब्ध्वापि विश्वविद्यालयप्रशासनाय कार्यस्वातन्त्र्यं प्रदीयते येन विश्वविद्यालये चिन्तामुक्तपरिवेशे महनीय कुलाधिपतिमहोदयायाः प्रेरणायां निर्देशे च विश्वविद्यालयः उच्च स्थानं लभमानो वर्तते।